



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या-2293/2026

विनोद कुमार यादव और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

..विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी, श्री मिथिलेश कुमार चौधरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, श्री नावेद आलम

न्यायालय संख्या 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री नावेद आलम द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। राज्य की ओर से, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नावेद आलम को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदकों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 0968/2013 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है जो शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या-2 द्वारा दिनांक 27-08-2013 को दर्ज कराई गई थी और जो वाद अपराध संख्या-231/2013, धारा 447, 507 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना- बंधरा, जिला लखनऊ के रूप में पंजीकृत है, विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित दिनांक 12-12-2025 के समझौते के आधार पर।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि कुछ भ्रान्ति के कारण, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसके पश्चात पक्षकारों ने एक साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है जिसे दिनांक 12.12.2025 को लेखबद्ध किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि तत्पश्चात आवेदकों ने विचारण न्यायालय को समझौता विलेख सत्यापित करने के निर्देश हेतु वर्तमान आवेदन दाखिल किया और दिनांक 06.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, सत्यापन किया गया और दिनांक 14.01.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उन्होंने निवेदन किया कि आगे वर्तमान वाद में आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इस प्रकार वाद अपराध संख्या-231/2013 से उत्पन्न वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को पूर्वोक्त तर्क पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए, मैंने पाया कि पक्षकारों के बीच दिनांक 12.02.2025 को समझौता हो गया है और उक्त समझौते का दिनांक 14.01.2026 को सत्यापन हो चुका है और, अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे वाद अपराध संख्या-231/2013 से संबंधित उपरोक्त आपराधिक वाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूँकि आवेदकों और विपक्षियों ने दिनांक 12.12.2025 को समझौता कर लिया है और कोई भी शिकायत विवादित नहीं रह गई है और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003)4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [2008]9 एससीसी 677]; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में पारित निर्णयों के आलोक में उपरोक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. तदनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 0968/2013 के संबंध में आपराधिक कार्यवाहीदिनांक 27-08-2013 को दर्ज वाद अपराध संख्या-231/2013, धारा 447, 507 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना- बंधरा, जिला लखनऊ के रूप में पंजीकृत, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

10. यह समझौता इस आदेश का अंग होगा।

11. तदनुसार आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

12. पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

23 मार्च, 2026

वी. सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।